



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 469 राँची, सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (श०)
7 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

18 जुलाई, 2023

संचिका सं.-17/NHRC(विविध)-01/2022- 3203--झारखण्ड राज्यान्तर्गत कारा में संसीमित बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके विधिक आश्रित / निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु नीति निर्धारित किया जाता है।

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (1) यह नीति "झारखण्ड राज्यान्तर्गत कारा में संसीमित बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु उपरांत अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान नीति 2023" कहलाएगी।
- (2) इसका विस्तार झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी कारा संसीमित बंदियों पर इस नीति की धारा-4 के अनुसार लागू होगी।
- (3) यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. स्वाभाविक रूप से मृत्यु, जिसके अन्तर्गत बीमारी से मृत्यु भी सम्मिलित है (Natural deaths including death due to illness) ऐसे मृत्यु प्राप्त बंदियों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि देय नहीं होगा।
3. अस्वाभाविक कारणों से मृत्यु (Unnatural deaths) प्राप्त बंदियों के आश्रित को निम्न स्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि देय नहीं होगा-
 - (1) जेलों से फरारी (Escape from Jails) अथवा जेल से बाहर कानूनी हिरासत से (from lawful custody outside Jails) भागने के दौरान मृत्यु होने पर अथवा
 - (2) किसी भी प्राकृतिक आपदा/विपत्ति के कारण मृत्यु होने पर।
4. निम्नलिखित मामलों में किसी बंदी की अस्वाभाविक/अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उस बंदी के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्धारित) को निम्न प्रकार से मुआवजा राशि दी जायेगी। एक से अधिक विधिक आश्रित / निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी की स्थिति में निर्धारित अनुग्रह अनुदान की राशि बराबर-बराबर अनुपात में दी जाएगी:-

क्र.	विषय	भुगतेय राशि
1.	बंदियों के बीच आपसी झगड़े के कारण	रु 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये)
2.	जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित/पिटवाई के कारण	रु 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये)
3.	विषपान के कारण (कारा प्रशासन के administrative lapses के कारण किसी के द्वारा किसी माध्यम से विषपान कराने के कारण मृत्यु की पुष्टि होने पर)	रु 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये)
4.	जेल अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा झूटी में लापरवाही के कारण	रु 4,00,000/- (चार लाख रुपये)
5.	चिकित्सा अधिकारियों/पारा चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के कारण	रु 4,00,000/- (चार लाख रुपये)
6.	बंदी द्वारा आत्महत्या करने के कारण	रु 3,00,000/- (तीन लाख रुपये)

5. राज्यान्तर्गत कारा में संसीमित बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके विधिक आश्रित / निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत होगी:-
 - (1) संबंधित जिला के उपायुक्त/जिलाधिकारी बंदी की मृत्यु की विस्तृत जाँच प्रतिवेदन यथा न्यायिक जाँच प्रतिवेदन/दण्डाधिकारी जाँच प्रतिवेदन, अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन, मृत्यु का

अन्तिम कारण प्रतिवेदन, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन बन्दी के जेल में प्रवेश के समय चिकित्सीय इतिहास तथा चिकित्सा उपचार का विवरण (यदि कोई हो) प्राप्त करेंगे।

- (2) तदोपरांत संबंधित उपायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा की जाएगी। इस हेतु निम्नरूपेण समिति का गठन किया जाता है:-

1.	उपायुक्त/जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	अनुमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
4.	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी	सदस्य
5.	सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
6.	कारा अधीक्षक	सदस्य सचिव

- (3) संबंधित उपायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उल्लेखित बंदी की मृत्यु से संबंधित सभी प्रतिवेदनों की जाँच एवं समीक्षोपरांत कंडिका-4 के आलोक में प्रावधानित राशि के भुगतान हेतु स्पष्ट मंतव्य एवं मृत बंदी के विधिक आश्रित / निकटतम परिजन के पहचान/सत्यापन हेतु आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की प्रति तथा स्थायी/वर्तमान पता हेतु बिजली बिल अथवा गैस कनेक्शन कार्ड अथवा बैंक पासबुक की प्रति प्राप्त करते हुए प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आवंटन राशि का भुगतान संबंधित मृत बंदी के विधिक आश्रित / निकटतम परिजन को कंडिका- 5(2) में गठित जाँच समिति के अनुशंसा के अनुरूप संबंधित उपायुक्त को आवंटन निर्गत की जाएगी तथा आवंटन निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- (5) भुगतान प्रमाण पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु अधिकृत होंगे।
7. उक्त अनुग्रह अनुदान राशि की निकासी बजट शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-05-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S22356020005000649 के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
